



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3972]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2019/ अग्रहायण 19, 1941

No. 3972]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2019/AGRAHAYANA 19, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

**का.आ. 4417(अ).**—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (पाँचवाँ संशोधन) आदेश, 2019 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 के खंड 3 के उप-खंड (2) की मद (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(iv) प्याज के संबंध में, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापारियों पर निम्नलिखित स्टॉक सीमाएं;

**थोक विक्रेता: 25 मीट्रिक टन तथा खुदरा विक्रेता: 2 मीट्रिक टन**

बशर्ते कि आयातक, जो थोक विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता अथवा डीलर है, को प्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी।”

[फा. सं. एस-10/3/2017-ईसीआरएंडई]

ए. के. चौधरी, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पण :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें – का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016 ; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017, का.आ. सं. 1600 (अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. सं. 2785 (अ) तारीख 25 अगस्त, 2017, का.आ. सं. 3136(अ) तारीख 27 सितंबर, 2017, का.आ. सं. 3397 (अ) तारीख 23 अक्टूबर, 2017, का.आ. सं. 3422 (अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2017, का.आ. सं. 4079 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2017, का.आ. 2414(अ) तारीख 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ) तारीख 6 अगस्त, 2019, का.आ. 3540(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2019, का.आ. 4298(अ) तारीख 28 नवंबर, 2019 और का.आ. 4341(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### ORDER

New Delhi, the 10th December, 2019

**S.O. 4417(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to further amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

#### 1. Short Title and Commencement—

1. This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Fifth Amendment) Order, 2019.
2. It shall come into force with immediate effect.
2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), the item (iv) is substituted by the following:—

“(iv) Onion, with the following stock limits on traders for all States and Union Territories;

**Wholesaler: 25 MT and Retailer: 2 MT**

Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions.”

[F. No. S-10/3/2017-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

**Foot Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25<sup>th</sup> April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17<sup>th</sup> May, 2017, S.O. 2785 (E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27<sup>th</sup> September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25<sup>th</sup> October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2017, S.O. 2414(E) dated the 13<sup>th</sup> June, 2018, S.O. 2826(E) dated the 6<sup>th</sup> August, 2019, S.O. 3540(E) dated the 29<sup>th</sup> September, 2019, S.O. 4298(E) dated the 28<sup>th</sup> November, 2019 and S.O. 4341(E) dated the 3<sup>rd</sup> December, 2019 .